125

सं०सं०–11 / टी0बी0(विधि)–99 / 2010–(पार्ट)...1074...(11)

स्वास्थ्य निदेशालय

बिहार, पटना

प्रेषक,

डा0 आर0डी0 रंजन,
निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 31 / 10 / 2018

विषयः– **बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित बी0सी0जी0 प्रावैधिकों के नियुक्ति से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित बी0सी0जी0 प्रावैधिकों की नियुक्ति से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति प्रारूप संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, जिसे सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

31/10/18

(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

D:\Navin kr. Thakur\T.B\All COURTS Letter.docx

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर अवमाननवाद संख्या–1711/2016 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य (सिविल रिव्यू संख्या–133/2003 सुदर्शन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–10.09.2014 को पारित न्यायादेश से उद्भूत) में दिनांक–31.08.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित परन्तु नियुक्ति से वंचित शेष उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु दिनांक–06.09.2018 प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर दिनांक–10.09.2018, 11.09.2018 एवं 12.09.2018 को संबंधित उम्मीदवारों के कागजात का सत्यापन करते हुए नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई की गई है। कतिपय अनुशंसित उम्मीदवारों के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त सूचना की जानकारी नहीं होने के कारण वे कागजात सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके।

उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित वैसे उम्मीदवार जो दिनांक–31.12.2018 तक 60 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि निम्नांकित कागजात के साथ दिनांक–16.11.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विकास भवन, नया सचिवालय स्थित स्वास्थ्य विभागीय सभागार में सभी आवश्यक मूल प्रमाण–पत्रों के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे...–

1. सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ।
2. आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ।
3. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु)
4. अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हों तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)
5. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card)।
6. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
7. स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का 2 फोटो।
8. प्रथम श्रेणी कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र कि समर्पित सभी प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है।
9. अनुभव प्रमाण–पत्र/प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं अन्य अभिलेख जो आपके द्वारा आयोग को समर्पित किया गया है।
10. प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

नोटः– सत्यापन हेतु निर्धारित उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु आगे कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

2. उपर्युक्त सूचना स्वास्थ्य विभाग के वेवसाईट *WWW.health.bih.nic.in* पर उपलब्ध है।

31/10/18

(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।